



न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
 बैठकस्थान अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह
 मण्डल :- लखनऊ, जनपद :- लखनऊ, तहसील :- सरोजनीनगर
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460508167
 वाद संख्या:- 8167/2026
 ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम हसीना
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 01/06/2026

माय सं 405
 गाम-गहलवारा
 माय - 589

वाद सं०

ग्राम-गहलवारा

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 18.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खसरा सं० 405 का कुल रकबा 1.0000 हे० में से विक्रीत रकबा 0.2500 हे०, खसरा सं० 416 का कुल रकबा 0.8250 हे० में से विक्रीत रकबा 0.2063 हे०, खसरा सं० 566 का कुल रकबा 0.0920 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0230 हे०, खसरा सं० 576 का कुल रकबा 0.0570 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0143 हे०, खसरा सं० 589 का कुल रकबा 0.1800 हे० में से विक्रीत रकबा 0.04500 हे०, कुल रकबा 2.1540 हे० में से विक्रीत रकबा 0.5386 हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग में मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्रीमती हसीना पत्नी हसान निवासी-गहलवारा काकोरी, लखनऊ नाम निरस्त करके केता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 18.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



जाय-589

न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460508175
वाद संख्या:- 8175/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम अली हुसैन
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 01/06/2026

वाद सं०-

ग्राम-गहलवारा

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 18.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतोनी प्रस्तुत किया। यह विक्रयपत्र 30प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतोनी वर्ष 1425 से 1430 की खसरा सं० 405 का कुल रकबा 1.0000हे० में से विक्रीत रकबा 0.5000 हे०, खसरा सं० 416 का कुल रकबा 0.8250हे० में से विक्रीत रकबा 0.4125हे०, खसरा सं० 566 का कुल रकबा 0.0920हे० में से विक्रीत रकबा 0.0460 हे०, खसरा सं० 576 का कुल रकबा 0.0570हे० में से विक्रीत रकबा 0.0284 हे०, खसरा सं० 589 का कुल रकबा 0.1800हे० में से विक्रीत रकबा 0.0900हे०, कुल रकबा 2.1540हे० में से विक्रीत रकबा 1.0769 हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग में मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री अली हुसैन पुत्र शाहजादे निवासी गहलवारा, काकोरी, लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 18.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"